2

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र.189....../एफ–7–110/31/एस–2/2022, अटल नगर, दिनांक 12/01/2023

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– **रायगढ़ जिले के माण्ड नदी पर काजवे टाईप चपले एनीकट निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।**

संदर्भ :– प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक–2174/बो.प्र./AA/TS/2022/7140, नवा रायपुर, दिनांक 01.08.2022.

––00––

राज्य शासन एतद् द्वारा रायगढ़ जिले के माण्ड नदी पर काजवे टाईप चपले एनीकट निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 2401.36 लाख (रूपये चौबीस करोड़ एक लाख छत्तीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से भू–जल संवर्धन, आवागमन सुविधा के साथ 250 हे. खरीफ एवं 50 हे. रबी, कुल 300 हे. क्षेत्र में कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। साथ ही योजना से औद्योगिक एवं पेयजल हेतु भी जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।
5. योजना पर व्यय बजट लेखाशीर्ष मांग संख्या–41–लेखाशीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {102} भू–तल जल, 0102–अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (5059) एनीकट/स्टापडेम निर्माण, #97 निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक–1256, सी.एन.–31–00402/बजट–2/वित्त/चार/2022, दिनांक 30.12.2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
12/01/23
(प्रेमसिंह घरेन्द्र)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
12/1/23

F:\Dewangan sir folder\Khanna Sir Doc\Letter\Adesh Letter Folder\Adesh final AA11.docx

पृ.क्र. 190 /एफ—7—110/31/एस—2/2022, अटल नगर, दिनांक 12/01/2023

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर—19, अटल नगर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4—22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर—19, नवा रायपुर—अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, रायगढ़, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

12/01/23

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

12/1/23

F:\Dewangan sir folder\Khanna Sir Doc\Letter\Adesh Letter Folder\Adesh final AA11.docx